फर्द अहकाम

ालय ______________________________

ममता बनाम लक्ष्मीनारायण

दमा संख्या / वर्ष 83/20 : ____________ / 20 ____________

ां0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 को पेश हों।	
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब T.I. पेश नहीं। अप्रार्थीगण को जवाब T.I. बन्द किया जाता है। वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दि0 18/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	18/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की T.I. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 83/2020
निर्णय दिनांक : 18.02.2025

उनवान

1. ममता पत्नी मोहन लाल
2. हिमांशु पुत्र मोहन लाल
3. कार्तिक पुत्र मोहन लाल
4. समस्त जाति कुमावत, नाबालिक जरिये संरक्षक माता ममता मकान नम्बर, 3 वार्ड नम्बर 32 दौराये भवन सांगानेर जरिये मुख्तयार श्री गंगा विष्णु शर्मा पुत्र सुवालाल शर्मा, निवासी ग्राम बोवाडी, वाया गढवाडी, तहसील जमवरामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र उदयराम, जाति कुमावत, निवासी– कुमावतान की ढाणी, गोपाल जी की तलाई, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. नाथी पत्नी उदयराम (मृतक)
3. रामनिवास कुमावत पुत्र तुलसीराम कुमावत, निवासी– कुमावतान की ढाणी, गोपाल जी की तलाई, सांगानेर, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
5. जिस्ट्रार मुद्रांक विभाग सांगानेर जिला जयपुर।
6. सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ एवं ठोस आधारो पर वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि हाल जमावन्दी सम्वत 2075 से 2070 (वर्ष 2019) के अंकित अनुसार खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.2900 चाही अब्बल 2048 रकबा 0.04000 बराती प्रथम, 2050 रकबा 0.4100 चाही अब्बल उक्त खसरा नम्बरान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/3 (1/9+1/9+1/9) 1/3, 1/3 के बिना बटे हकदार खातेदार काश्तकार थे। अप्रार्थी संख्या 2 जो प्रार्थी संख्या 1 की सास एवं 2 व 3 की दादी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की मां थी उनका स्वर्गवास 21.10.2016 हो चुका है उक्त भूमि जमावन्दी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की थी एवं जमावन्दी अनुसार ही उनका शेयर था एवं प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है एव पूर्व से ही मनवट के अनुसार नम्बर अनुसार जमीन पर काविज न होकर मनवट के अनुसार रह रहे है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 2048 से 0.04 हैक्टेयर में से 6666 वर्गगज भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से में से हिस्सा पूर्व में ही विक्रय कर दिया था। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि होने से प्रार्थी अपने हिस्से के विशिष्ट भू-भाग पर अपनी इच्छानुसार इम्प्रुवमेन्ट (विकास) न ही कर पा रहा है अप्रार्थीगण

उप–खण्ड अधिकारी

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर आमादा रहते है प्रार्थी का संयुक्त व अविभाजित भूमि पर काश्त करना व उसका विकास करना कठिन हो गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रत्येक राह–काश्तकार को अपने हिस्से की अविभाजित भूमि का विधिक विभाजन मिटस एण्ड बाउण्डरस के आधार पर करवाने व अलग से खाता व लगान कायम करवाने का वैधानिक अधिकार है विभाजन के पश्चात मिली भूमि को सुरक्षित रखने के लिए विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का भी वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 से दिनांक 20.01. 2020 को सम्पर्क कर सहमति के आधार पर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर भूमि वादग्रस्त का वैधानिक विभाजन करवाकर खाते को पृथक–पृथक करवाने का अनुरोध किया जिस पर अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया व कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि पर कदीम से काबिज काश्त है। हमें किसी बंटवारे/विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको भूमि वादग्रस्त का विभाजन करवाना है तो करवा ले। दिनांक 20.01.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ने भूमि वादग्रस्त का सहमति के आधार पर विधिक विभाजन करने से साफ इन्कार करने से वाद कारण विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है इसलिए वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत भूमि विभजान एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त विवादित आराजी कृषि आराजीयात का विक्रय रहन, बय, बख्शीश या किसी प्रकार से हस्तानतरित एवं पक्का निर्माणात अन्य व्यक्तियो द्वारा दिया जाता है तो तथा विवादग्रस्त कृषि आराजीयात का कब्जा दीगर व्यक्तियो को सुपुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपुर्तनीय क्षति का सामना करना पडेगा जेसकी पूर्ति किया जाना किसी प्रकार से समय नहीं होगा। खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.2900 चाही अब्बल 2048 रकबा 0.04000 बराती प्रथम, 2050 रकबा 0.4100 चाही अब्बल उक्त खसरा नम्बरान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/3 (1/9+1/9+1/9) 1/3, 1/3 में प्रार्थी के हिस्से में मजाहमत नहीं करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाया जावे कि वे प्रार्थीगण की वर्णित पैठक भूमि वर्णित मद संख्या 2 की विवादित भूमि के किसी भी निश्चित हिस्से की भूमि का बेचान व हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे, ना ही एजेन्ट, सर्वेन्ट या अन्य माध्यम से करवाये तथा न ही कब्जा कोई पक्का निर्माण करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न करवाये।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 21.01.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किये जाने से जवाब बन्द करने के आदेश दिये।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को दौराने वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाया जावे कि वे प्रार्थीगण की वर्णित पैठक भूमि वर्णित मद संख्या 2 की विवादित भूमि के किसी भी निश्चित हिस्से की भूमि का बेचान व हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे, ना ही एजेन्ट, सर्वेन्ट या अन्य माध्यम से करवाये तथा न ही कब्जा कोई पक्का निर्माण करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न करवायें

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला वादग्रस्त भूमि के प्राथीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 का अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है व अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 2048 रकबा 2.04 है में से 66.66 वर्गगज भुमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थीण ने अपने हिस्से में से हिस्सा पूर्व ही विक्रय कर दिया था। जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्राथीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है और वादग्रस्त भूमि के मनवट से विभाजन कर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लायगत 3 बिना विभाजन कराये प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में जबरन पुख्ता तागीरात कराने को आमादा है बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया जाता या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी। उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है इसलिए उनके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर दिनांक 06.02.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि हाल जमावन्दी सम्वत 2075 से 2070 (वर्ष 2019) के अंकित अनुसार खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.2900 चाही अब्बल 2048 रकबा 0.04000 बराती प्रथम, 2050 रकबा 0.4100 में अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वादग्रस्त भूमि किसी भी निश्चित हिस्से की भूमि का बेचान व हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे, ना ही एजेन्ट, सर्वेन्ट या अन्य माध्यम से करवाये तथा न ही कब्जा कोई पक्का निर्माण करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे न करवाये।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उप–खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर